

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मलवीर बनाम श्रीमती हगांभी (वर्ग 2)

रसम मुकदमा नं० 20 सन् 2022
प्रा-पाग 111-128

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
---	----------------------------------	---

1-22 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

29/3 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थी सौ. 01 लगायत 05 के सम्मन खाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा-प० किये गये। बट सील पर माण्डल से मांका विपक्षीगण हुई जिले शा-प० किया गया। अप्रार्थी सौ. 1 लगायत 5 को कितकी मर्तवा आवाजे डिलायी जाने के पश्चात भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक नरफा कार्यपत्री किये जाने का आर्डर दिया जाता है, वकील प्रार्थीगण को बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण का प्रा-पाग स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्क से लिखा जाकर शा-प० किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 20/2022

1- श्री महावीर पिता बालूदास बैरागी नि० जोरावरपुरा त० माण्डल वर्ग०

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती हृगामी पालि देवा गाडरी नि० जोरावरपुरा त० माण्डल वर्ग०

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके ~~खाते~~ /संयुक्त खाते की आराजी नं. 896 कुल किता 01 रकबा 0.1265 बीघा 80 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने ~~खाते~~ /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-01-2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी ~~से~~ का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके ~~खाते~~ /संयुक्त खाते की आराजी नं. 896 कुल किता 01 रकबा 0.1265 बीघा 80 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा